<u>अध्याय-१५</u> उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

निगम मुख्यालय एवं संबंधित समस्त १८ जनपदों में नामित जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम, कार्यालय दूरभाष नम्बर एवं आवास पर स्थित दूरभाष नम्बर की पट्टिकायें मोटे-मोटे अक्षरों में संबंधित अधिकारियों के कक्ष के बाहर लगायी गयी हैं। नागरिकों को जन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ का लाभ भली-भांति मिल सके इस हेतु कोई भी नागरिक संबंधित अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकता है और सूचना प्राप्त करने के संबंध में यथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं तथा यथा संभव समयावधि के अंतर्गत आवेदकों को सूचनायें उपलब्ध करा दी जाती हैं।